भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4434
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में पेयजल संकट

4434. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में भू-जल के लगातार गिरते स्तर के कारण उत्पन्न पेयजल संकट की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) सरकार द्वारा इस संकट से निपटने के लिए भू-जल के पुनर्भरण, सतत् जल प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति अवसंरचना में सुधार सहित क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विभिन्न पेयजल योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर जल संकटग्रस्त और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने में वृद्धि करने हेतु कोई नई योजनाएं, नीतियां अथवा प्रौद्योगिकीय समाधान तैयार किए गए हैं/तैयार करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (च): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों हेतु पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के प्रावधान के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत सरकार अगस्त 2019 से महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन को कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम एक सार्वभौमिक कार्यपरिपूर्णता दृष्टिकोण को अपनाता है और देश के सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करता है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कार्यदक्ष प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाये जाते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ग्राम-अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा पेयजल स्रोत के विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन तथा जल की कमी वाले सूखा-प्रवण तथा बिना किसी भरोसेमंद भूजल स्रोतों वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में जल अंतरण, शोधन तथा संवितरण प्रणालियों की अवसंरचना के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आबंटित करते समय दुर्गम भू-भागों के लिए 30% भारांक महत्व दिया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं ताकि इन क्षेत्रों में कवरेज को प्राथमिकता दी जा सके।

पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक गांव को जल जीवन मिशन के तहत 5 वर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार करनी होती है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पीआरआई को सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य योजनाओं, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधियों, सामुदायिक अंशदान आदि के सामंजस्य में किए जाने वाले पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल होते हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (~17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 24.03.2025 तक, लगभग 12.31 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.03.2025 तक, देश के 19.36

करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.54 करोड़ (80.26%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, महाराष्ट्र में 48.44 लाख (33%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 24.03.2025 तक, पिछले पांच वर्षों से अधिक समय के दौरान लगभग 82.37 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.03.2025 तक, महाराष्ट्र में 146.80 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 130.81 लाख (89.11%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

टिकाऊ भूजल प्रबंधन और देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों को निम्न लिंक पर देखा जा सकता है

https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf.

पिछले पांच वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत आवंटित निधि, जारी की गई निधि और महाराष्ट्र द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	बजट आवंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	कुल उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	431.79
2020-21	285.35	1828.92	457.23	742.58	473.59	324.16
2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.21
2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
2024-25	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	2,089.20	2,644.40

आवंटित निधि, जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधियों से संबंधित जिला-वार सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

*****